


**बैठक कार्यवाही विवरण**

आज दिनांक 15.06.2022 को 12:00 बजे श्री अक्षय गोदारा, आयुक्त, अजमेर विकास प्राधिकरण की अध्यक्षता में कार्यकारी समिति की बैठक आयोजित की गई। जिसका बैठक कार्यवाही विवरण निम्नानुसार है:-

बैठक में निम्नांकित सदस्यगण उपस्थित हुये :-

1. श्री किशोर कुमार, सचिव, अ.वि.प्रा., अजमेर।
2. श्रीमती सीता वर्मा, उपायुक्त, नगर निगम, अजमेर।
3. श्री शमशेर, अति.पुलिस अधिक्षक, अजमेर।
4. श्री अनिल कुमार गुप्ता, निदेशक अभियंत्रिकी, अ.वि.प्रा., अजमेर
5. श्री पी.आर. बेनीवाल, निदेशक आयोजना, अविप्रा, अजमेर।
6. श्री हजाराराम सिरवी, निदेशक विधि, अ.वि.प्रा., अजमेर।
7. श्री राजकिशोर मीणा, निदेशक वित्त, अ.वि.प्रा. अजमेर।
8. श्री एन.के. भटनागर, अधिक्षण अभियन्ता, अ.वि.वि.एन.एल. अजमेर।
9. श्री देवेन्द्र कुमार अधीक्षण अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, अजमेर।
10. श्री सम्पत जींगर, अधिशाषी अभियन्ता जन स्वा. अभि. वि., अजमेर खण्ड प्रथम, अजमेर।
11. श्री योगेश कुमार खत्री, अति. निदेशक पर्यटन विभाग, अजमेर।
12. श्री जे.पी.शर्मा, वरिष्ठ रीजनल मेनेजर, रीको अजमेर।
13. श्री दीपक अग्रवाल कनिष्ठ लेखाधिकारी, नगर पालिका पुष्कर।
14. श्री महेन्द्र सिंह अति.डीपो अधिकारी, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, अजमेर।

सर्वप्रथम सचिव, अजमेर विकास प्राधिकरण ने समस्त आगन्तुक समिति के सदस्यों का स्वागत किया बैठक में बाद विचार विमर्श प्रस्तावों पर विस्तृत चर्चा कर निम्नानुसार निर्णय लिये गये:-

प्रस्ताव संख्या	विवरण	अनुभाग
1	दिनांक 15.03.2022 को आयोजित प्राधिकरण कार्यकारी समिति बैठक मे लिए गये प्रस्तावों की पुष्टि । निर्णय:- सर्वसम्मति से दिनांक 15.03.2022 को आयोजित कार्यकारी समिति की बैठक मे लिये गये प्रस्तावो की पुष्टि की गई।	सचिव 
2	वार्षिक दर संविदा H.T/L.T का कार्य प्राधिकरण क्षेत्र अजमेर। प्राधिकरण द्वारा वर्ष 2021-22 में H.T/L.T Line कार्य हेतु दर संविदा के अन्तर्गत राशि रु. 13.06 लाख का कार्यादेश दिया गया था। इस कार्य हेतु प्रशासनिक व वित्तीय स्वीकृति 20.00 लाख रु. प्रदान की गई थी। कायड़ स्थित प्रस्तावित मेडिकल कॉलेज में 11 KV विद्युत लाईन	निदेशक अभियांत्रिकी

हटाने के महत्वपूर्ण कार्य के कारण कार्यादेश राशि से लगभग 50 प्रतिशत की सीमा तक मौका स्थिति अनुसार कार्य करना पड़ा। अतः उक्त प्रकरण में अध्यक्ष कार्यकारी समिति एवं आयुक्त अजमेर विकास प्राधिकरण की पूर्व अनुमति प्राप्त कर ली गई थी। कार्यादेश राशि से 50 प्रतिशत तक कार्य करने की अनुमति हेतु प्रस्ताव कार्यकारी समिति के समक्ष स्वीकृति हेतु प्रस्तुत है।

निर्णय—सर्वसम्मति से कार्यादेश राशि 13.06 लाख के 50 प्रतिशत सीमा तक कार्य कराने की स्वीकृति प्रदान की गई।



3

Widening, Strengthening, Drainage and Development of Beawer road from FCI Godown to Saradhana Over Bridge, Ajmer. की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति पुष्टि एवं अनुमोदन हेतु।

निदेशक
अभियांत्रिकी

अजमेर शहर में ब्यावर, जोधपुर, पाली आदि शहरों से आने वाले मुख्य पहुँच मार्ग जिसका स्वामित्व सार्वजनिक निर्माण विभाग का है एवं सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा अपने पत्र दिनांक 01.06.2020 द्वारा उक्त रोड़ की अनापत्ति अजमेर विकास प्राधिकरण को प्रदान कर दी गई है। सार्वजनिक निर्माण विभाग के पत्र क्रमांक 216 दिनांक 11.04.2022 द्वारा अवगत कराया गया है कि एफ.सी.आई. गोदाम से सराधना ओवरब्रिज तक उनके विभाग द्वारा कोई कार्य प्रस्तावित नहीं है। अतः उपरोक्त कार्य का तकमीना राशि रु. 974.00 लाख का प्रस्तावित किया गया है। इस कार्य के अन्तर्गत एफ.सी.आई. गोदाम से ट्रांसपोर्ट नगर तक 2.5 किमी. लम्बाई में 9.00 मीटर चौड़े केरिज-वे को डिवाइडर सहित चार लेन केरिज-वे में तथा ट्रांसपोर्ट नगर से सराधना आर.ओ.बी. तक 2.3 किमी. लम्बाई 7.00 मीटर चौड़े केरिज-वे को तीन लेन केरिज-वे में विकसित किये जाने का प्रावधान तकमीने में लिया गया है। इसके अलावा पानी की उचित निकासी हेतु 3.8 किमी. लम्बाई आर.सी.सी. नाला निर्माण व ट्रांसपोर्ट नगर के सामने लगभग 400 मीटर लम्बाई Interlocking लगाने का प्रावधान रखा गा है। इसके अलावा Culvert आदि कि चौड़ाई बढ़ाने का कार्य शामिल किया गया है। प्राधिकरण की SOP अनुसार राशि रु. 500.00 लाख से अधिक वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने की सक्षमता कार्यकारी समिति में निहित है। उक्त कार्य कि राशि रु. 974.00 लाख की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति कार्यकारी समिति द्वारा दिनांक 21.04.2022 को परिचलन के माध्यम से स्वीकृति प्रदान की गई।

अतः कार्यकारी समिति के समक्ष परिचलन प्रस्ताव के द्वारा जारी प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति राशि रु. 974.00 लाख की पुष्टि एवं अनुमोदनार्थ हेतु प्रकरण प्रस्तुत है।

निर्णय— परिचलन प्रस्ताव के द्वारा जारी प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति राशि रु. 974.00 लाख की पुष्टि की गई।



Widening, Strengthening, Drainage and Development of Beawer road from FCI Godown to Saradhana Over Bridge, Ajmer. की निविदा दर स्वीकृति हेतु।

निदेशक
अभियंत्रिकी

उक्त कार्य की ई-निविदा सूचना संख्या 04/2022-23 दिनांक 27.04.2022 को जारी की गई थी। जिसकी तकनीकी बिड दिनांक 24.05.2022 को खोली गई जिसमें 4 फर्मों की तकनीकी बिड प्राप्त हुई। प्राप्त तकनीकी बिडों का Technical Evaluation तैयार किया गया, जिसमें 4 फर्मों (M/s. Mukesh Vijayvergia, M/s Nakoda Bhairav construction company, M/s Ankit Construction, M/s H.S. Mehta Infra pvt. Ltd.) रिस्पॉन्सिव रही। रिस्पॉन्सिव चारों फर्मों की वित्तीय बिड की दिनांक 27.05.2022 को खोली गई। जिसका तुलनात्मक विवरण निम्नानुसार है :-

Sl. No	Bidder Name	G-Schedule Amount	Quated Percentage	G-Amount	H-Amount	Total (H+G)	Bid Rank
1	Mukesh Vijayvergia	93485878.22	20.86% Below	73984724.02	45000.00	74434724.02	L1
2	Nakoda Bhairav	93485878.22	18.11% Below	76555585.67	90000.00	76645585.67	L2
3	Ankit Const.	93485878.22	15.51% Below	78986218.51	22500.00	79211218.51	L3
4	H.S, Mehta infra pvt. ltd	93485878.22	6.10% Below	87783239.65	10000.00	87883239.65	L4

उपरोक्तानुसार न्यूनतम दर M/s. Mukesh Vijayvergia. से एच-शिड्यूल दर में नगोसियेट दर ली गई जो 900 रु. Each की जगह 300 रु Each आई। इस प्रकार कार्य की जी-शिड्यूल के कार्य की लागत राशि 73984724.02 एवं एच-शिड्यूल राशि (500 Nos. @, Rs. 300 Each) 150000.00 कुल लागत 74134724.02 आती है। PROCUREMENT COMMITTEE द्वारा सर्वसम्मति से विचार विमर्श कर M/s. Mukesh Vijayvergia द्वारा दी गई दर जी-शिड्यूल राशि पर 20.86 प्रतिशत Below एवं एच-शिड्यूल की दर 300 रु. Each की स्वीकृति की अनुशंसा की गई है। कार्य की कुल लागत 74134724.00 है।

अतः कार्यकारी समिति के समक्ष M/s. Mukesh Vijayvergia द्वारा दी गई दर जी-शिड्यूल राशि पर 20.86 प्रतिशत Below एवं एच-शिड्यूल की दर 300 रु Each की स्वीकृति हेतु प्रस्तुत है।

निर्णय:- सर्वसम्मति से निविदा की दर 20.86 प्रतिशत Below PWD BSR-2019 एवं एच-शिड्यूल की दर 300 रु Each की स्वीकृति प्रदान की गई।

[Handwritten Signature]

5

Design, Construction, Supply, Installation, Testing & Commissioning of Civil, Mechanical & Electrical works including O & M for 5 years of 40 MLD Sewerage Treatment Plant based on Activated Sludge process and Power Generation from gases produced from sludge digestion of 60 MLD STP (20 MLD existing + 40 MLD proposed) on Turnkey Basis at Khanpura, Ajmer under JnNURM के शेष कार्य हेतु रिस्क एण्ड कोस्ट के निर्णय बाबत।

निदेशक
अभियांत्रिकी


उक्त कार्य का राशि रु. 30.03 करोड़ का कार्यदेश M/s. Pratibha GECPL (JV) को दिनांक 26.08.2011 को दिया गया था, जिसका कार्य प्रारम्भ की नियत दिनांक 26.08.2011 एवं समाप्ति की नियत दिनांक 25.02.2013 थी। यह कार्य जेएनएनयूआरएम परियोजना के तहत लिया गया था। इसके पश्चात् दिनांक 31.03.2015 को केन्द्र सरकार द्वारा उक्त जेएनएनयूआरएम परियोजना को Financially Closed कर दिया गया था। तत्पश्चात् अजमेर विकास प्राधिकरण द्वारा दिनांक 11.02.2020 को कार्यकारी समिति की बैठक में जेएनएनयूआरएम के शेष बचे कार्यों को पूर्ण कराने हेतु राशि रु. 19.00 करोड़ की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई।


संवेदक द्वारा आज दिनांक तक राशि रु. 22.27 करोड़ का कार्य किया गया है। जिसमें 40 MLD STP का मुख्यतः सिविल कार्य तथा Electromechanical Equipment का Procurement सम्मिलित है।

संवेदक को प्राधिकरण द्वारा दिनांक 12.03.2020, 19.06.2020, 02.11.2020, 2.12.2020, 22.12.2020, 05.01.2021, 12.01.2021, 21.01.2021, 10.06.2021, 11.08.2021, 04.02.2022 एवं 19.05.2022 को कार्य की धीमी प्रगति बाबत पत्र व मीटिंग नोटिस जारी किये गये, जिस पर संवेदक ने बार-बार कार्य की प्रगति 10-15 दिवस में बढ़ाकर पूर्ण करने बाबत समय मांगा गया। कार्य के संबन्ध में अंतिम मीटिंग दिनांक 19.05.2022 को आयुक्त अजमेर विकास प्राधिकरण की अध्यक्षता में फर्म के प्रतिनिधि के साथ की गई एवं आगामी 07 दिवस का अतिरिक्त समय कार्य की प्रगति को बढ़ाने हेतु मांगा गया लेकिन वर्तमान में भी कार्य की प्रगति पूर्व अनुसार ही है तथा बहुत धीमी है। फर्म द्वारा अपने पत्रांक 229 दिनांक 7.06.2022 में शेष STP कार्य को आगामी 04 माह में एवं पावर जनरेशन प्लांट कार्य को STP कार्य पूर्ण उपरान्त आगामी 03 माह में पूर्ण कराने हेतु आश्वस्त किया गया है। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि कार्य की मूल फर्म का Insolvent भी हो चुका है।

अतः शेष कार्य को Conditions of Contract section III Vol-I Clause No. 1.13 (Risk & Cost) के अन्तर्गत कराने हेतु प्रकरण निर्णय बाबत कार्यकारी समिति के समक्ष प्रस्तुत है।

निर्णय:-कार्यकारी समिति द्वारा सर्वसम्मति से संवेदक द्वारा दिनांक 07.06.2022 को दिये गये प्रार्थना पत्र एवं प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त को ध्यान में रखते हुये आगामी तीन सप्ताह में संवेदक पर्याप्त कार्य की प्रगति को सुनिश्चित करें वरना शेष कार्य को Conditions of Contract section III Vol-I Clause No. 1.13 के तहत Risk & Cost के अन्तर्गत कराने की स्वीकृति प्रदान की गई।



<p>6</p>	<p>प्राधिकरण की पृथ्वीराज नगर योजना एवं विजयाराजे सिंधिया नगर योजना में पेयजल सुविधा उपलब्ध कराने हेतु कार्यकारी समिति द्वारा संशोधित प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति राशि रूपये 3192.14 लाख की प्रदान करने बाबत।</p> <p>पृथ्वीराज नगर एवं विजयाराजे सिंधिया नगर योजनाओं में पानी वितरण की सुविधा हेतु जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग द्वारा डिपोजिट वर्क के माध्यम से कार्य करवाया जाना है। जिसके तहत प्राधिकरण द्वारा जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग को योजनाओं में अलग-अलग भूमि चिन्हित कर अनापत्ति पत्र जारी किया जा चुका है।</p> <p>उक्त कार्य की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति राशि रु. 2542.41 लाख की कार्यकारी समिति की बैठक दिनांक 28.06.2021 के बिन्दु सं. 2 के अनुसार ली गई थी, जिसके आधार पर संबंधित विभाग ने प्रस्ताव तैयार कर उच्च अधिकारियों को स्वीकृति हेतु प्रेषित किया गया। उक्त कार्य का टेण्डर आमंत्रित करके प्राप्त कर लिये गये थे परन्तु FC में अनुमोदन के दौरान नई बीएसआर 2022 से पुनः प्रस्ताव तैयार करने का निर्णय लिया गया जिसके क्रम में मुख्य अभियंता (UNRW) के पत्रांक 6774-75 दिनांक 04.05.2022 से स्थानीय जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग को नई बीएसआर 2022 पर आधारित पुनः प्रस्ताव तैयार कर भिजवाने बाबत निर्देशित किया गया।</p> <p>उच्च जलाशय, पेयजल लाईने, पंपिंग स्टेशन इत्यादि के निर्माण हेतु संशोधित तकमीना नई बीएसआर 2022 पर आधारित राशि रु. 3192.14 लाख का तैयार करके अजमेर विकास प्राधिकरण को जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग ने पत्र क्रमांक 1599-1601 दिनांक 06.06.2022 से भिजवाया गया है, जिसकी सहमति/स्वीकृति चाही गई है।</p> <p>अजमेर विकास प्राधिकरण की महत्वाकांशी पृथ्वीराज नगर एवं विजयाराजे सिंधिया नगर योजनाओं में पेयजल उपलब्ध कराने के लिये प्राधिकरण प्रतिबंध है।</p> <p>संशोधित प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति कार्यकारी समिति द्वारा जारी की जानी है।</p> <p>अतः राशि 3192.41 लाख की संशोधित प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करने हेतु प्रकरण कार्यकारी समिति के समक्ष प्रस्तुत है।</p> <p>निर्णय:- सर्वसम्मति से राशि 3192.41 लाख की संशोधित प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई।</p>	<p>निदेशक अभियांत्रिकी</p> 
<p>7</p>	<p>जयपुर रोड़ पर RPSC के सामने अजमेर विकास प्राधिकरण के नये कार्यालय भवन का निर्माण कार्य।</p> <p>वर्तमान में अजमेर विकास प्राधिकरण का कार्यालय टोडरमल मार्ग पर अवस्थित है, जिसमें कुल 204 स्वीकृत पद है। वर्तमान कार्यालय भवन में कार्यरत 97 कार्मिकों के स्टाफ के बैठने के लिए भी पर्याप्त स्थान उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। रिकॉर्ड को व्यवस्थित रखने एवं वाहनों को पार्क करने हेतु भी यथोचित स्थान उपलब्ध नहीं है। इसके</p>	<p>निदेशक अभियांत्रिकी</p>

अतिरिक्त मीटिंग हॉल एवं वी0सी0 रूम के लिए भी अलग से स्थान नहीं है। अतः अजमेर विकास प्राधिकरण की 23वीं बैठक दिनांक 04.04.2022 के बिन्दु संख्या 22 में भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए नया कार्यालय भवन जयपुर रोड़ पर RPSC के सामने निर्माण किये जाने का सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।

अजमेर विकास प्राधिकरण के नये भवन की डिजाईन, ड्राईंग हेतु कंसल्टेंट को दिनांक 06.04.2022 को कार्यादेश जारी किया गया। कंसल्टेंट द्वारा डिजाईन, ड्राईंग एवं तकमीना प्रस्तुत कर दिया गया है। कार्यालय भवन हेतु Basement (Parking) के साथ G+4 Structure का निर्माण प्रस्तावित किया गया है। प्रस्तावित भवन का कुल Covered Area 8236.52 वर्ग मी0 है। इसके तहत Office Building, Boundary Wall, Electrification, Plumbing, Tube Well, Landscaping, Approaches, Nallah, Solar Power Plant, STP, Fire Fighting System, CCTV, Rain Water Harvesting आदि का निर्माण प्रस्तावित किया गया है, जिसकी अनुमानित लागत 22.25 करोड़ रु. है। बजट 2022-23 में कार्यालय भवन निर्माण हेतु राशि रु. 12.00 करोड़ का प्रावधान रखा गया है तथा शेष राशि का समावेश आगामी वर्ष के बजट में किया जाएगा।

अतः प्रस्तावित प्राधिकरण भवन निर्माण कार्य हेतु राशि रु. 22.25 करोड़ की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करने हेतु प्रकरण प्रस्तुत है।

निर्णय:- सर्वसम्मति से राशि 22.25 करोड़ की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति नये प्राधिकरण भवन हेतु प्रदान की गई।

बैठक अन्त में सधन्यवाद समाप्त की गई
यह बैठक कार्यवाही विवरण आयुक्त महोदय से अनुमोदित है।

सचिव,
अजमेर विकास प्राधिकरण,
अजमेर

क्रमांक/अविप्रा/सचिव/2021-23/223-47

दिनांक 15/06/22

प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, अध्यक्ष, अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर।
3. संयुक्त शासन सचिव-प्रथम, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. अतिरिक्त निजी सचिव, आयुक्त, अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर।

5. निजी सहायक ,जिला कलक्टर ,अजमेर।
6. निजी सहायक,आयुक्त,नगर निगम,अजमेर।
7. निजी सहायक,पुलिस अधीयक्ष,अजमेर।
8. निजी सहायक,सचिव,अजमेर विकास प्राधिकरण,अजमेर।
9. अति. जिला कलक्टर शहर, अजमेर।
10. मुख्य अभियन्ता, अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर।
11. मुख्य अभियन्ता, अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, अजमेर।
12. अति. मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, अजमेर।
13. अति. मुख्य अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, अजमेर रीजन, अजमेर।
14. सलाहकार (एएण्डएम) राजस्थान राज्य औद्योगिकी विकास एवं विनियोजन नि.लि. जयपुर।
15. कार्यकारी निदेशक (यांत्रिकी) (महाप्रबन्धक अभियांत्रिकी), राजस्थान राज्य परिवहन नि.लि. जयपुर।
16. उपनिदेशक, पर्यटन विभाग, अजमेर।
17. उपायुक्त उत्तर/दक्षिण/पुष्कर/किशनगढ़, अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर।
18. निदेशक अभियांत्रिकी/आयोजना/वित्त/विधि, अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर।
19. अधीक्षण अभियन्ता, उत्तर/दक्षिण, अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर।
20. वरिष्ठ नगर नियोजक, अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर।
21. वरिष्ठ लेखाधिकारी, अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर।
22. सहायक विधि परामर्शी, अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर।
23. आयुक्त, नगर परिषद, किशनगढ़, अजमेर।
24. कार्यकारी अधिकारी, नगरपालिका बोर्ड, अजमेर।
25. प्रभारी अधिकारी भण्डार शाखा, अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर।



सचिव,
अजमेर विकास प्राधिकरण,
अजमेर